25/08/2025

पत्रावली आज पेश हुई। रेस्पो. संख्या 01, 02, 03, 18, 19 एंव 21 लगायत 25 द्वारा प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा पारित स्थगन आदेश 02/03/2020 के विरूद्ध माननीय राजस्व मंडल अजमेर के समक्ष निगरानी टी.ए. संख्या 5163/2020/पाली प्रस्तुत की गई, जिसे माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 31/07/2025 के जरिये जरिये विड्रो खारिज कर दिया गया। एंव पत्रावली न्यायालय हाजा को लौटाई गई। जिसके फलस्वरूप पत्रावली आज पेशी में ली गई। प्रकरण में अधिवक्ता अपीलांट एंव अपीलांट स्वंय द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वास्ते प्रकरण जरिये विड्रोल निस्तारित किये जाने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पोंडेन्ट्स के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया एंव रेस्पोंडेन्ट्स ने अपीलांट को विश्वास दिलाया कि वे अपीलांट के हक-हिस्से को जरिये राजीनामा देने के लिए तैयार है, जिस कारण अपीलांट उक्त अपील को जरिये विड्रोल निस्तारित करवाना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील जरिये विड्रोल खारिज फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रकरण में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अपीलांट स्वयं उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये है। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को मद्देनज़र रखते हुए प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है एवं उक्त अपील (पुनः अपील पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए) जरिये विड्रोल खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।
	राजस्व अपील अधिकारी